(103)

COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES 10 Rs.

COURT FEE भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES 5 Rs.

विलोपित

न्यायालय - राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर C-8B151 —

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 1160-II /05

श्री के.के. द्विवेदी एडवोकेट
द्वारा आज दि. 28/7/05 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

28 JUL 2005

28.7.05
DWIVEDI
Advocate

काजी मकबूल उद्दीन पुत्र क करीमउद्दीन
निवासी - काजी मौहल्ला, मुंगावली
जिला - अशोकनगर (म0प्र0)

--- आवेदक

विरूद्ध

1- कल्याण सिंह पुत्र रामभरोसे
निवासी - भतपुरा तहसील- मुंगावली
जिला - अशोकनगर म0प्र0

2- रफीक खॉ पुत्र बाबू खॉ

3- अहमदेवी विधवा तालिवर खॉ

4- खालिद खां पुत्र तालिवर खां

5- सईद खां पुत्र तालिवर खां

सभी निवासी - क्र. 2 से 5 तक
अथाई मौहल्ला, मुंगावली, जिला -
अशोकनगर (म0प्र0)

6- नुरूद्दीन पुत्र काजी मंजूरउद्दीन
निवासी - काजी अहाता, जहांगीराबाद,
भोपाल म0प्र0

7- मुक्ता उद्दीन पुत्र मसीउद्दीन
निवासी - काजी मौहल्ला, मुंगावली,
जिला - अशोकनगर (म0प्र0)

-- अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 87/87-88
निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.4.05 के विरुद्ध ...

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

जिला अशोकनगर

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1160—दो / 2005

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एंव अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 25.4.16 | प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ । अवलोकन किया गया।<br>2/ यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 87/87–88 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–4–05 के विरुद्ध म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।<br>3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार मुंगावली के समक्ष मूल मामला पटवारी कस्बा रेंज मुंगावली व्दारा निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रारंभ हुआ है –<br>" (1) सर्वे नंबर 227 का रकबा कुल 107/8 था जिसमें से सर्वे नंबर 227 पि.व 227/2 कायम होकर रकबा 4.448 दर्ज कागजात होकर खाता नं. 3 खसरा संबत 2030 ल. 2033 तक की नकल में तालेवर खाँ पुत्र काले खाँ जाति मुसमान भूमिस्वामी दर्ज होकर भू.आ. 23.26 कायम हो गया है व कब्जा भी है।<br>(2) ....................<br>(3) सर्वे नं. 641 /4.756 में से मि.स. 641/0. 314 पर फूलचन्द बालचन्द पि. प्यारेलाल जाति सिकारी निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.आ. 2.00 दर्ज है संबत 2030 ल. 2033 तक की खसरा नकल संलग्न है। | |

सेवा में सनिनय निवेदन है कि स्वत्व लेख संबत 2013 खसरा व संबत 2030 ल. 2033 तक के खसरा की नकल संलग्न पेश है । ता. 29.12.77

4/ पटवारी रिपोर्ट के अनुसार संबत 2030 से उक्तांकित भूमि पर कल्याण सिंह व रफीक खॉ भूमिस्वामी होकर खेती करते आ रहे है और इसी भूमि पर तहसीलदार के समक्ष काजी मकबूलउद्धीन ने तालेवर खॉ के हित में हुये नामान्तरण की जॉच करने की मांग की है। आज की स्थिति में उक्तांकित भूमि पर कल्याण सिंह व रफीक खॉ 49 वर्ष से भूमिस्वामी होकर खेती करते आ रहे हैं तब क्या आज की स्थिति अर्थात 49 वर्ष वाद आवेदक काजी मकबूलउद्धीन को किसी प्रकार की राहत दी जा सकती है। स्पष्ट है मामला स्वत्व के विवाद का है एंव स्वत्व के मामले विचार करने एंव निराकरण करने की शक्तियॉ राजस्व न्यायालय को नहीं है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार की सहायता दिया जाना संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 87/87-88 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-4-05 में निकाले गये निष्कर्ष उचित है जिनमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 87/87-88 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-4-05 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य